जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति | दिनांक 04.12.2023

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गौवध निवारण अधिनियम में एक वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तार।

ज्ञात हो कि दिनांक 26.10.2023 को थाना कोतवाली शामली पुलिस को वादी श्री सरवेज चौहान पुत्र चौधरी यासीन निवासी ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम ऐरटी व कण्डेला के जंगल में किसी जानवर के अवशेष जो गाय या बैल के प्रतीत हो रहे है, पड़े है, मुझे विश्वास है कि उक्त अवशेष आलिम पुत्र यूसुफ उर्फ बुल्ला, फुरकान पुत्र आलमदीन, मजाहिर व रिजवान पुत्रगण इदरीश, हाजी मेहबान पुत्र अब्बल, आलमदीन पुत्र जफरू, ताहिर पुत्र मीन गांधा समस्त निवासीगण ग्राम मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली द्वारा गोवंश के कटान के बाद खेत में अवशेष डालने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 525/2023 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम बनाम आलिम आदि 07 नफर पंजीकृत किया गया था। घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र ही गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी नगर व थाना प्रभारी कोतवाली शामली को निर्देशित किया गया था।

आज दिनांक 04.12.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे पशुओं की तस्करी एवं कटान की रोकथाम अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गौवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। उपरोक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. रिजवान पुत्र इदरीश निवासी मन्ना माजरा थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार त्यागी थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.है0का0 रिंकू सिंह थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.का0 सूर्यप्रताप थाना कोतवाली जनपद शामली।

प्रेस नोट

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा युवती के साथ छेडखानी, गाली गलौच व अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 04.12.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा युवती के साथ छेडखानी, गाली गलौच व अभद्र टिप्पणी करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 30.11.2023 को थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत एक युवती द्वारा उसके साथ अभियुक्तगण द्वारा छेडखानी ,अभद्र टिप्पणी व गाली गलौच करने के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर नामजद लिखित तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक थानाभवन को दिये गये थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. वसीम पुत्र नसीम निवासी मौहल्ला रोगनग्रान कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री रामरतन शर्मा थाना थानाभवन जनपद शामली।

2. का0 राजन सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कैराना

प्रेस नोट

***थाना* कैराना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।**

दिनांक 04.12.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे अवैध शराब/अवैध हथियार की बरामदगी/निर्माण/तस्करी/ में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चौकिंग के दौरान सूचना पर 01 नफर अभियुक्त को अवैध चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1.तालिब पुत्र युनुस निवासी मोहल्ला छडियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

अवैध चाकू 01

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2. का0 विकास थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना</u>

प्रेस नोट

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिक लडकी को बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 04.12.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 03.12.2023 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत वादी की दाखिला तहरीर के आधार पर अभियुक्त के द्वारा नाबालिक लडकी को बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कैराना को निर्देशित किया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अजय पुत्र देवी सिंह उर्फ देब्बा निवासी ग्राम सहपत थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 मनेन्द्र कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 पवन भाटी थाना कैराना जनपद शामली।

प्रेस नोट

<u>जनपद शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तारः-</u>

दिनांक 03/04.12.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना,थाना कांधला, थाना गढीपुख्ता व थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अलग-अलग मामलों में 04 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में थाना कैराना, थाना कांधला, थाना गढीपुख्ता व थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-</u>

1.शहनाज पत्नी इलियास निवासी मौहल्ला कस्सावान थाना कैराना जनपद शामली।

2.फारुख पुत्र इंताजर निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

3.नईम पुत्र बशीर उर्फ भंगड निवासी मौहल्ला आजाद चौक थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4. शिवचरण पुत्र रतन सिह निवासी ग्राम खेडी खुशनाम थाना झिंझाना जनपद शामली।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 10,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2015 में अभियुक्त नौशाद पुत्र मेहन्दा निवासी बरनावी थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 185/2015 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 186/2015 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये थे। इसी क्रम में आज दिनांक 04.12.2023 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा धारा 307 भादवि में 08 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष 06 माह का कठोर कारावास व 500/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 1998 में अभियुक्तगण 1.नईम पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला हाजीपुरा थाना कोतवाली जनपद शामली 2.तहसीन पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला हाजीपुरा थाना कोतवाली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 100/98 धारा 147/148/323/504/342 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 04.12.2023 को माननीय न्यायालय CJSD/ACJM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सभी धाराओं में 4000-4000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को 06-06 दिन कारवास का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगणः-</u>

1. नौशाद पुत्र मेहन्दा निवासी बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।
2. नईम पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला हाजीपुरा थाना कोतवाली जनपद शामली।
3. तहसीन पुत्र बशीर निवासी मौहल्ला हाजीपुरा थाना कोतवाली जनपद शामली।